



लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/01/2021 (सू.अ.)

पंजीयन दिनांक:- 05.01.2021

GCM5 NO:-2021/1

श्री चुन्नी लाल पिता नोला अहीर निवासी जोजरों का खेड़ा तहसील गंगरार

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

निर्णय

दिनांक 02.02.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 16.09.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 01/2021/(02.02)/04 दिनांक 05.01.2021 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार को दिनांक 02.02.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 02.02.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ और न ही सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेंट्स प्रस्तुत किए।



लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)





-2-

प्रकरण संख्या 01/2021 (सू.अ.)
श्री चुन्नीलाल पिता नोला अहीर निवासी जोजरों का खेड़ा बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 16.09.2020 से 2 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई, परन्तु सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार की टिप्पणी प्राप्त नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि उनके स्तर पर इस आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।



(के. के. शर्मा)

लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
जिला कलकत्ता चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिस्ता/प्र.सं./01/2021(सू.अ.)/ 129

दिनांक:- 02/02/2021

प्रतिलिपि:-

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
2. श्री चुन्नी लाल पिता नोला अहीर निवासी जोजरों का खेड़ा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
जिला कलकत्ता चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)